रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2012/भाद्र 30, 1934

No. 474] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2012/BHADRA 30, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 708(अ).—सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापर एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2004 में और संशोधन करने के लिए एद्तद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2012 कहलाएंगे।

(2) थे 2 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त होंगे ।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) नियम, 2004 में:-

(क) निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" 7.तंबाकू उत्पाद और उनके सेवन को दर्शाने वाली पुरानी फिल्मों और टेलीविजन के कार्यक्रमों में स्वास्थ्य स्पॉट्स और संदेश:-

(1) तंबाकू उत्पाद अथवा उनके सेवन को प्रदर्शित करने वाली पुरानी फिल्म प्रदर्शित करने वाले किसी भी सिनेमा हाल अथवा थियेटर का मालिक अथवा प्रबंधक यह सुनिश्चित

करेगा कि फिल्म की शुरूआत और मध्यांतर में प्रत्येक बार न्यूनतम तीस सेकंड की अवधि का तंबाकू–रोधी स्वास्थ्य स्पॉट दिखाया जाए;

बशर्ते कि ऐसे स्वास्थ्य स्पॉट्स केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

(2) यदि सिनेमा हॉल अथवा थियेटर का मालिक अथवा प्रबंधक उप-नियम (1) के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी विफलता को स्पष्ट करने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान करने के उपरांत ऐसे सिनेमा हॉल अथवा थियेटर का लाइसेंस रद्द अथवा निलंबित किया जा सकता है।

(3) तंबाकू उत्पादों अथवा उसके सेवन को प्रदर्शित करने वाले किसी भी पुराने टेलीविजन कार्यक्रम (पुरानी भारतीय और विदेशी फिल्म सहित) का प्रसारक यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) टेलीविजन कार्यक्रम की शुरूआत और मध्यांतर में प्रत्येक बार न्यूनतम तीस सेकंड की अवधि का तंबाकू–रोधी स्वास्थ्य स्पॉट दिखाया जाए:

बशर्ते कि ऐसे स्वास्थ्य स्पॉट्स केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाएं जाएंगे;

(ख) टेलीविजन कार्यक्रमों में तंबाकू उत्पादों अथवा उनेक सेवन के प्रदर्शन की अवधि के दौरान टेलीविजन स्क्रीन के नीचे सुस्पष्ट स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी हो:

बशर्ते कि, तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सुस्पष्ट और पठनीय हो, सफेद पृष्टभूमि पर काले रंग के फॉण्ट से लिखी हो; और

(i) तंबाकू सेवन के धूम्रपान के विभिन्न प्रकार के रूपों के संबंध में "धूम्रपान से कैंसर होता है" अथवा "धूम्रपान जानलेवा है" चेतावनियॉं हों;

(ii) चबाने वाले तंबाकू के अन्य प्रकार के धुंआ रहित रूपों के लिए "तंबाकू से कैंसर होता है" अथवा "तंबाकू जानलेवा है" चेतावनियॉं लिखी हों;

(iii) अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट ऐसी अन्य चेतावनियॉं:

बशर्ते यह कि, तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश अथवा स्वास्थ्य स्पॉट्स उसी भाषा में होंगे जो फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम में प्रयुक्त की गई हो और डब की गई अथवा उप-शीर्षक वाली फिल्मों अथवा टेलीविजन कार्यक्रमों के मामलों में संदेश अथवा स्पॉट्स डब की गई अथवा उप-शीर्षक वाली भाषा मे संचालित किए जाएंगे:

(4) यदि पुराने टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारक उप-नियम (3), के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे प्रसारक को ऐसी विफलता स्पष्ट करने का उपयुक्त अवसर देने के उपरांत उसे जारी लाइसेंस को रद्द करने अथवा निलंबित करने सहित उचित दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनार्थ, -

(i) सभी फिल्मों, जो इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाणन प्राप्त हों, को "पुरानी फिल्मों" के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा;

(ii) इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले निर्मित सभी टेलीविजन कार्यक्रमों को पुराने टेलीविजन कार्यक्रमों" के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा;

(iii) "विदेशी फिल्म" शब्द का आशय सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियमावली, 1983 में यथापरिभाषित "आयातित" से है।

(iv) "टेलीविजन कार्यक्रम" अभिव्यक्ति में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995" में यथा परिभाषित "कार्यक्रम" अन्तर्निहित है।

(ख) नियम 8 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8 नई फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य स्पॉट्स, संदेश और दावात्याग (डिस्क्लेमर)-

(1) तंबाकू उत्पादों अथवा इसके सेवन को प्रदर्शित करने वाली सभी नई भारतीय अथवा विदेशी फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रम में निम्नलिखित अनिवार्य हैं-

(क) एक सशक्त संपादकीय औचित्य, जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्म में तंबाकू उत्पादों और उनके सेवन के प्रदर्शन की अनिवार्यता के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया हो;

(ख) फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम की शुरूआत में और मध्य में कम से कम तीस सेंकण्ड की अवधि के तंबाकू रोधी स्वास्थ्य स्पॉट्स;

(ग) फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम में तंबाकू उत्पादों अथवा उनके सेवन के प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे किसी सुस्पष्ट स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी;

(घ) फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरूआत और मध्य में कम से कम बीस सेकेण्ड की अवधि के तम्बाकू के इस्तेमाल के दुष्प्रभावों के बारे में एक श्रव्य-दृश्य डिस्क्लेमर,

बशर्ते कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को ऐसे स्वास्थ्य स्पाट और डिस्क्लेमर उपलब्ध करवाये जाएंगे,

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जनता को दिखाने के लिए किन्हीं तम्बाकू उत्पादों अथवा उनके प्रयोग को प्रदर्शित करने वाली किसी भी फिल्म को तब तक सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उप-नियम (1) के खण्ड (क) से (घ) की शर्तों को पूरा न किया गया हो.

(2) यदि सिनेमा हाल अथवा थियेटर का स्वामी अथवा प्रबंधक उप-नियम (1) के उपबंधों का पालन नहीं करता है, तो ऐसा करने में विफल रहने का कारण स्पष्ट करने के लिए एक उचित अवसर देने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे सिनेमाहाल के लाइसेन्स को रद्द अथवा निलंबित किया जा सकता है;

(3) यदि टेलीविजन के कार्यक्रमों का प्रसारक उप-नियम(1) के खण्ड (ख) से (घ) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी इस विफलता को स्पष्ट करने के लिए एक उचित अवसर देने के पश्चात ऐसे प्रसारक को जारी किये गए लाइसेन्स को रद्द करने अथवा निलंबित करने सहित समुचित दण्डात्मक कार्रवाई करेगा।

(4) तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश जैसा कि उप-नियम (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट किया गया है, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के फोन्ट से पठनीय होगी, और ---

(i) तम्बाकू सेवन के धूम्रपान के रूपों के लिये "धूम्रपान से कैन्सर होता है," अथवा "धूम्रपान जानलेवा है," की चेतावनियों सहित,

(ii) तम्बाकू को चबाने और इसके अन्य धुएं रहित रूपों के लिए "तम्बाकू से कैन्सर होता है," अथवा "तम्बाकू जानलेवा है," की चेतावनियों सहित,

(iii) अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट ऐसी अन्य चेतावनियां।

(5) तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश अथवा स्वास्थ्य स्पाट्स की भाषा वही होगी, जो फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम में प्रयुक्त हुई है और ऐसे फिल्म एवं टेलीविजन कार्यक्रम जो डब किये गये हैं, अथवा जिनमें उप-शीर्षक हैं, उनमें संदेश अथवा स्पाट्स डबिंग अथवा उप-शीर्षक की भाषा में संचालित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजनार्थ-

(i) इस अधिसूचना की प्रभावी तारीख के उपरांत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणन प्राप्त सभी फिल्मों को "नई फिल्मों" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(ii) इस अधिसूचना की प्रभावी तारीख के उपरांत बनाए गए सभी टेलीविजन कार्यक्रमों को "नए टेलीविजन कार्यक्रम" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

[फा. सं. पी-16012/1/2005-पी एच]

श्रीमती शंकुतला डी. गेमलिन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम 25 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं.सा.का.नि.137 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और इन्हें तत्पश्चात् दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 30 नवंबर, 2005 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 698 (अ), दिनांक 20 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.656(अ) और दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 786(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2012

G.S.R. 708(E).— In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, namely :-

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the 2nd Day of October, 2012.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004,-

(a) for rule 7 the following rule shall be substituted, namely.-

"7. Health Spot and Message in Old Films and Television Programmes, displaying Tobacco Products or their use.-

(1) The owner or manager of a cinema hall or theatre screening old films (Indian and foreign) which display tobacco products or their use, shall ensure that anti-tobacco health spots of minimum thirty seconds duration each are screened at the beginning and middle of the film:

Provided that such health spots shall be made available to the Central Board of Film Certification by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

(2) If the owner or manager of cinema hall or theatre fails to comply with the provisions of sub-rule (1), the license of such cinema hall or theatre may be cancelled or suspended by the competent authority, after giving a reasonable opportunity to explain such failure.

(3) The broadcaster of old television programmes (including old Indian and foreign films) displaying tobacco products or their use, shall ensure that, -

(a) anti-tobacco health spots, of minimum thirty seconds duration each are screened at the beginning and middle of the television programme:

Provided that such health spots shall be made available to the Central Board of Film Certification by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India;

(b) anti-tobacco health warning as a prominent static message is displayed at the bottom of the television screen during the period of display of the tobacco products or their use in the television programmes:

Provided that the anti-tobacco health warning message shall be legible and readable, with font in black colour on white background, and, -

(i) with the warnings "Smoking causes cancer" or "Smoking kills" for smoking forms of tobacco use;

(ii) with the warnings "Tobacco causes cancer" or "Tobacco kills" for chewing and other smokeless forms of tobacco;

(iii) or with such other warnings as may be specified by the Central Government from time to time:

Provided that the anti-tobacco health warning message or health spots shall be in the same language as used in the film or television programme and in case of dubbed or sub-titled films or television programmes, the message or spots shall be carried in the language of dubbing or sub-title.

(4) If the broadcaster of old television programmes fails to comply with the provisions of sub-rule (3), the competent authority in the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India shall take appropriate punitive action including cancellation or suspension of the license issued to such broadcaster, after giving a reasonable opportunity to explain such failure.

Explanation :- For the purpose of this rule, -

(i) all films that receive Central Board of Film Certification prior to the effective date of this notification shall be categorized as "old films";

(ii) all television programmes produced prior to coming into effect of this notification shall be categorized as "Old Television Programme";

(iii) the expression "foreign film" implies "Imported" as defined in the Cinematograph (Certification) Rules, 1983;

(iv) the expression "television programmes " implies "programme" as defined in the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995".

(b) for rule 8 the following rule shall be substituted, namely.-

"8. Health Spots, Message and Disclaimer in New Films and Television Programmes.- (1) All new Indian or foreign films and television programmes displaying tobacco products or their use shall have,-

(a) a strong editorial justification explaining the necessity of the display of the tobacco products or their use in the film, to the Central Board of Film Certification;

(b) anti-tobacco health spots, of minimum thirty seconds duration each at the beginning and middle of the films and television programmes;

(c) anti-tobacco health warning as a prominent static message at the bottom of the screen during the period of display of the tobacco products or their use in the film and television programme;

(d) an audio-visual disclaimer on the ill-effects of tobacco use, of minimum twenty seconds duration each, in the beginning and middle of the film and television programme;

Provided that such health spots and disclaimer shall be made available to the Central Board of Film certification by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India:

Provided further that no film displaying tobacco products or their use shall be certified for public exhibition by the Central Board of Film Certification unless the conditions specified in clauses (a) to (d) of sub-rule (1) are fulfilled.

(2) If the owner or manager of a cinema hall or theatre fails to comply with the provisions of sub-rule (1), the license of such cinema hall or theatre may be cancelled or suspended by the competent authority, after giving a reasonable opportunity to explain such failure;

(3) If the broadcaster of the television programmes fails to comply with the provisions of clauses (b) to (d) of sub-rule (1), the competent authority in the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India shall take appropriate punitive action including cancellation or suspension of the license issued to such broadcaster, after giving a reasonable opportunity to explain such failure.

(4) The anti-tobacco health warning message as specified in clause (c) of sub-rule (1) shall be legible and readable, with font in black colour on white background, and, -

(i) with the warnings "Smoking causes cancer" or "Smoking kills" for smoking forms of tobacco use;

(ii) with the warnings "Tobacco causes cancer" or "Tobacco kills" for chewing and other smokeless forms of tobacco;

(iii) or with such other warnings as may be specified by the Central Government from time to time.

(5) The anti-tobacco health warning messages or health spots shall be in the same language as used in the film or television programme and in case of dubbed or sub-titled films or television programmes, the messages or spots shall be carried in the language of dubbing or sub-title.

Explanation. - For the purpose of this rule,-

(i) all films that receive Central Board of Film certification after the effective date of this notification shall be categorized as "New Films".

(ii) all television programmes produced after the effective date of this notification shall be categorized as "New Television Programme".

[F. No. P-16012/1/2005-PH]

[F. No. P-16012/1/2005-PH]

Smt. SHAKUNTALA D. GAMLIN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 137 dated the 25th February, 2004, and were subsequently amended vide notification number G.S.R. 345(E) dated the 31st May, 2005, vide G.S.R. 698(E) dated 30th November, 2005, vide G.S.R. 656(E), dated 20th October, 2006 and vide G.S.R 786 dated 27th October, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.